ऊँची दीवारों के पीछे

तिहाड़ जेल में रहने के हालातों
पर एक रिपोर्ट

पीपल्स यूनियन फॉर डैमोक्रैटिक राइट्स, दिल्ली
दिसम्बर 2011

हजारों हमवतन लोगों के साथ मैंने भी जेल में राज्य के आतंक का अनुभव किया है और मौत का स्वाद चखा है, यह अपने–आप में चमत्कार से कम नहीं है कि मैं इतने लंबे समय के बाद कब्र से वापस आ सकी।
अंजुम हबीब, पूर्व कैदी, तिहाड़ जेल

ए. राजा, सुरेश कलमाड़ी, अफ़जल गुरू, कोबाद गांधी, कनिमोझी, माधुरी गुप्ता और सोनू पंजाबन में कौन सी बात समान है? सीधे शब्दों में कहें तो इन सबका पता एक ही है, यानी तिहाड़ जेल।

इस साल की शुरूआत में जब से 2–जी स्पेक्ट्रम और राष्ट्रमंडल खेलों में भ्रष्टाचार के मामलों से जुड़े लोगों को गिरफ्तार करके दिल्ली के तिहाड़ केन्द्रीय जेल में रखा गया है, तब से यह जेल खबरों की सुर्खियों में है। तिहाड़ में नौ अलग–अलग जेल हैं जिसमें इस समय मूल क्षमता से तकरीबन दुगने कैदी हैं। इस तरह यह पूरे दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा कैदियों वाला जेल है। जेल अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार तिहाड़ की क्षमता 6,250 लोगों की है, जबकि यहाँ पर तकरीबन 11,738 लोगों को रखा गया है। तिहाड़ में कैद 82 प्रतिशत लोग विचाराधीन (अंडर–ट्रायल) कैदी हैं, जबकि बाकी 18 प्रतिशत में सज़ायाफ्ता और अन्य बंदी शामिल हैं। तिहाड़ में कैद लोगों में तकरीबन 96 प्रतिशत पुरूष और 4 प्रतिशत महिलाएँ हैं। यहाँ महिला कैदियों को जेल नंबर 6 में रखा जाता है। इस जेल के आंकड़ों पर नज़र डालने से यह बात स्पष्ट होती है कि कुल महिला कैदियों में से 85 प्रतिशत विचाराधीन कैदी हैं। इनमें से 40 प्रतिशत महिला विचाराधीन कैदी ऐसी हैं जो एक साल से ज़्यादा समय से इस जेल में कैद हैं।

2जी स्पेक्ट्रम और राष्ट्रमंडल खेलों में भ्रष्टाचार के मामलों में ए. राजा, कनिमोझी, सुरेश कलमाड़ी आदि जैसे नामी–गिरामी लोगों की गिरफ्तारी के बाद संचारमाध्यमों में कई एक रिपोर्ट आई, जिनमें बताया गया कि किस तरह इन महत्वपूर्ण कैदियों के लिए तिहाड़ में 'विशेष' व्यवस्था की गई है। इन रिपोर्टों से यह उजागर हुआ कि इन लोगों के लिए जेल में अलग कमरे, घर में बना हुआ खाना, अन्य कैदियों की तुलना में मुलाकातियों से मिलने के लिए ज़्यादा अनौपचारिक माहौल आदि जैसी बहुत सी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

कानून में ऐसा प्रावधान है कि यदि किसी तरह की विशेष सुविधाओं की सही और यथोचित मांग हों तो इन विशेषाधिकारों या छूट की व्यवस्था की जा सकती है। बहरहाल, सवाल यह है कि जब जेल में कैद आम व्यक्ति के लिए बुनियादी अधिकारों की माँग करना भी बेहद मुश्किल होता है तो हमारे सांसद जेल के भीतर भी इतनी सारी सुविधाएँ कैसे पा रहे हैं? 4 जुलाई 2011 को यह खबर आई कि जेल नंबर 4 के अधीक्षक (सुपरिंटेंडेंट) एस. सी. भारद्वाज को सुरेश कलमाडी को अपने ऑफिस में चाय और बिस्कुट खिलाने पिलाने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। इसी दिन नीतीश कटारा हत्याकांड में आरोपी दो प्रभावशाली कैदियों, विकास और विशाल यादव को जेल के नियमों के अनुसार तयशुदा समय के बाद भी बगीचे में घूमते हुए देखा गया। इस मामले में लापरवाही बरतने के लिए जेल के दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया।

यह भी एक आश्चर्यजनक संयोग ही है कि इसी समय तिहाड़ में भ्रष्टाचार में भी बढ़ोतरी हुई है। गृहराज्य मंत्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने अगस्त में लोकसभा में जवाब देते हुए खुद यह स्वीकार किया कि पिछले साल की तुलना में तिहाड़ में भ्रष्टाचार के मामलों में 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उनके अनुसार, पिछले साल भ्रष्टाचार के कुल 6 मामले सामने आए थे, जबकि इस साल के शुरूआती 7 महीनों में भ्रष्टाचार के 12 मामले सामने आए।

यह रिपोर्ट तिहाड़ जेल के अंदर की जिंदगी पर एक छोटी सी रिपोर्ट है। यह एक ऐसी दुनिया और उसमें रहने वाले लोगों के बारे में कुछ तथ्यों को उजागर करने कोशिश है, जो बाहर की दुनिया के लिए अदृश्य रहते हैं। पीयूडीआर ने जेल के अधिकारियों से बार–बार यह आग्रह किया कि वे उन्हें औपचारिक रूप से जेल का दौरा करने की इजाज़त दें, लेकिन हमें इसकी अनुमति नहीं मिली। इसलिए यह रिपोर्ट मोटे तौर पर जेल के जीवन के प्रकाशित विवरणों, अदालत के फैसलों और जेल के पूर्व–कैदियों और जेल में मुलाकात के लिए जाने वाले कैदियों के परिजनों से लिए गए साक्षात्कारों पर आधारित है।

जेल परिसर

भारत में जेल का प्रशासन तकनीकी रूप से राज्य का विषय है। इसका अर्थ यह है कि राज्य सरकारों को अपने राज्य के जेलों के प्रशासन के संबंध में अपने नियम–कानून बनाने का अधिकार है और ऐसा करना उनकी ज़िम्मेदारी भी है। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद के दौर में दिल्ली की जेलों पर पंजाब राज्य का नियंत्रण था। 1966 में ये शक्तियाँ दिल्ली प्रशासन को स्थानान्तरित कर दी गईं। लेकिन इसके बाद भी 1988 तक दिल्ली की जेलों के नियम–कानून पंजाब जेल नियमावली (मैन्युअल) के अनुसार ही रहे। 1988 में दिल्ली ने अपनी जेल नियमावली बनाई। राज्य का दर्ज़ा मिल जाने के बाद से दिल्ली के पास अपना देल्ही प्रिज़न्स एक्ट (दिल्ली जेल अधिनियम) 2000 है। जिसमें दिल्ली की जेलों के प्रशासन के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं।

इस अधिनियम में *'न्यायिक हिरासत में कैदियों को जेल में रखे जाने और इनके सुधार और पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए इन्हें सुरक्षित रूप से हिरासत में रखने और उनके साथ व्यक्ति की गरिमा के सिद्धांतों के अनुरूप व्यवहार के न्यूनतम मानक बनाए रखने'* की व्यवस्था है। इसमें जेल के प्रशासन की ज़िम्मेदारी एक इंस्पैक्टर–जनरल को दी गई है। सरकार द्वारा नियुक्त होने वाले इस इंस्पैक्टर जनरल की मदद के लिए जेल सुपरिंटेंडेंटों, मेडिकल और वेलफेयर अफसरों जैसे अन्य सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया है। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि लिंग (पुरूष–महिला), उम्र (21 वर्ष और उससे कम), अपराध (सिविल, क्रिमिनल, सज़ायाफ्ता, विचाराधीन) आदि के आधार पर कैदियों का विभाजन करना आवश्यक है। तिहाड़ जेल का प्रशासन देल्ही प्रिज़न्स एक्ट (2000) और देल्ही प्रिज़न्स रूल्स (1988) के अनुसार होता है। जहाँ पर इन दोनों से चीज़ें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होती हैं, वहाँ अधिकारी अभी भी पंजाब जेल मेन्युअल की मदद लेते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी में स्थित होने के कारण तिहाड़ भारत का सबसे प्रसिद्ध जेल है। दिल्ली में सत्ता केन्द्र के नज़दीक होने के कारण इसके प्रशासन पर निष्पक्ष और तटस्थ रूप से अपने कर्त्तव्यों को पूरा करने की ज़िम्मेदारी कहीं अधिक है। कानूनी रूप से इस नियम को स्वीकार किया जाता है कि जब एक व्यक्ति को अदालत के फैसले के बाद सज़ा मिल जाती है और उसे कैद कर लिया जाता है, तब भी वह संविधान द्वारा मिले मूल अधिकार नहीं खोता। यहाँ सिर्फ उन्हीं मूल अधिकारों पर रोक लगती है जिनका उपयोग जेल की कैद में रहकर नहीं किया जा सकता है, मसलन स्वतंत्रतापूर्वक कहीं भी आने–जाने या कोई भी पेशा अपनाने का आज़ादी। यूनाइटेड नेशन्स स्टैण्डर्ड मिनिमम रूल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिज़नर्स (कैदियों से व्यवहार के बारे में संयुक्त राष्ट्र के न्यूनतम नियम) भी कैदियों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, मनोरंजन की सुविधा के अधिकार को मान्यता देता है। इसके अलावा, यह उन्हें जेल के भीतर शारीरिक सुरक्षा की भी गारंटी देता है।

तिहाड़ जेल का सबसे बड़ा अधिकारी डॉयरेक्ट जनरल (प्रिज़न्स) होता है, इसकी मदद के लिए एक डिप्युटी इंस्टपैक्टर जनरल ऑफ प्रिज़न्स होता है। जेल को अलग अलग भागों में बाँटा जाता है और हर भाग का एक अपना सुपरिंटेंडेंट होता है। डिप्युटी –सुपरिंटेंडेंट के नीचे के स्तर की आंतरिक प्रशासन की व्यवस्था 'दिल्ली जेल सर्विस स्टाफ' द्वारा की जाती है, जिसमें वार्डर और मेट्रन शामिल होते हैं। देश के दूसरे जेलों की तरह ही तिहाड़ में भी सज़ायाफ्ता कैदियों को रोज़मर्रा की गतिविधियों के प्रबंधन की विशेष ज़िम्मेदारी दी जाती है। मसलन, इन्हें कैदियों की गणना करने, वार्डों के भीतर साफ–सफाई का निरीक्षण करने, अन्य कैदियों को काम सौंपने आदि जैसी ज़िम्मेदारियाँ दी जाती हैं। ऐसा लग सकता है कि कैदियों को ज़िम्मेदारी देने की यह प्रणाली लोकतांत्रिक और सहभागी है, लेकिन हकीकत यह है कि इससे जेल के भीतर सत्ता के स्थानीय केन्द्र और ऊँच–नीच की एक गैर–ज़रूरी व्यवस्था खड़ी हो जाती है।

दिल्ली प्रिज़न एक्ट एंड रूल्स' जेल में कैदियों के वर्गीकरण की एक व्यवस्था का अनुसरण करता है, जिसमें कैदियों के विभिन्न समूहों के साथ अलग अलग तरह के व्यवहार का प्रावधान किया गया है। इसमें मोटे तौर पर विचाराधीन और सज़ायाफ्ता कैदियों के बीच में अंतर किया गया है। इसके बाद इन दोनों ही श्रेणियों में उप–वर्गीकरण भी किया गया है। जेल में जो कैदी अपनी सामाजिक हैसियत, शिक्षा या रहन सहन के कारण उच्चतर जीवन स्तर के आदी होते हैं, उन्हें 'वर्ग बी' (क्लास 'बी') के कैदियों की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन जो लोग इन मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं उन्हें 'वर्ग सी' (क्लास 'सी') की हैसियत दी जाती है। मसलन, 'देल्ही प्रिज़न (एडमीशन, क्लासिफिकेशन, सेपरेशन, रिवार्ड एंड रीलिज ऑफ प्रिजनर्स) रूल्स, 1988' के 52 अनुच्छेद में 'अच्छे वर्ग' के विचाराधीन से किस तरह का सलूक हो, उससे संबंधित नियम दिए गए हैं। इसमें इनके लिए बेहतर आवास,

अधिकार या विशेषाधिकार?

उन्हें एक अलग कमरा दिया गया है जिसके साथ शौचाल्य जुड़ा हुआ है। कमरे में टैलीविजन, पंखे और बिजली है। जहाँ तक खाने का सवाल है उन्हें दक्षिण भारतीय खाना खाने की इजाज़त है। पर यह कोई खास छूट नहीं है क्योंकि हम अन्य कई कैदियों को दक्षिण भारतीय खाना जैसे इडली, वड़ा और सांभर देते हैं .....'
कनिमोझी का जेल में दी जा रही सुविधाओं के संबंध में डिप्यूटी इंस्पैक्टर जनरल, प्रिज़नस, आर.एन.शर्मा का कथन (20 मई, 2011, आईएएनएस)

'विशेष' आहार, फर्नीचर, किताबों, पत्रिकाओं की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, रात में 10 बजे तक बिजली की व्यवस्था की गई है। यदि सुपरिंटेंडेंट चाहे तो किताबों और पत्रिकाओं के मामले में सेंसरशीप का प्रयोग कर सकता है।

हमारे समाज जैसे एक गैरबाराबर समाज में वर्ग के आधार पर ये विशेष सुविधाएँ दिया जाना गलत है क्योकि यह हमारे संविधान में शामिल समानता के बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन है। अधिकांश कैदी समाज के तुलनात्मक रूप से गरीब तबके से आते हैं। इसलिए वर्ग के आधार पर कैदियों को विशेषाधिकार दिए जाने की इस पद्धति से अधिकांश कैदी बहुत सी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। लिंग, उम्र, केस की स्थिति और जुर्म की प्रकृति आदि के आधार पर कैदियों का विभाजन सही है, लेकिन वर्ग के आधार पर कैदियों के विभाजन को किसी भी लिहाज से सही नहीं माना जा सकता। दरअसल, जेल के भीतर वर्ग के आधार पर कैदियों के विभाजन का अर्थ है कि समाज में विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच गैरबराबरी को जेल में भी जारी रखा जा रहा है। जेल के नियमों में 'उच्च वर्ग' से संबंधित कैदियों के लिए कुछ खास 'छूट' की व्यवस्था करने से यह सवाल सामने आते हैं कि निम्न वर्ग से आने वाले दूसरे कैदियों को इस तरह की सुविधाएँ क्यों नहीं दी जाती हैं? सामाजिक हैसियत के बारे में फैसला कौन करता है? किन कसौटियों के आधार पर जीवन की उच्चतर श्रेणी का मूल्यांकन किया जाता है? पीयूडीआर हाल में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों के संदर्भ में इन्हीं कुछ सवालों को उठाना चाहता है, जिन्हें जेल में दूसरे कैदियों की तुलना में विशेष सुविधाएँ दी जा रही हैं।

कैदियों के अधिकार

'देल्ही प्रिज़न एक्ट और रूल्स' में सभी कैदियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों का प्रावधान किया गया है। इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच और शिक्षा सुविधाओं का अधिकार, बाहरी दुनिया से संपर्क कायम रखने, मुफ्त कानूनी मदद पाने और प्रताड़ना से सुरक्षा का अधिकार तथा जेल के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज़ कराने का अधिकार शामिल हैं। कागज पर इन सारे अधिकारों का अस्तित्व है। लेकिन बाहरी दुनिया की तरह ही यहाँ भी गरीबों की बजाय अमीरों को ही इन अधिकारों का फायदा मिलने की संभावना ज़्यादा है। फर्नीचर के साथ अलग कमरा दिया जाना, घर से बना खाना मिलना, मुलाकातियों के साथ व्यक्तिगत रूप से आमने--सामने की मुलाकात, ऐसी कुछ सुविधाएँ हैं जो कनिमोझी, सुरेश कलमाड़ी, ए. राजा और अन्य रसूख रखने वाले कैदियों को मिली हुई हैं। तिहाड़ का प्रशासन यह स्पष्टिकरण देता है कि अदालत के विशेष निर्देशों पर ही

इन लोगों को इस तरह की सुविधाएँ दी जा रही हैं। लेकिन इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जेल के नियमों में संसद सदस्य को कोई विशेष सुविधाएँ देने का प्रावधान नहीं किया गया है। इस तरह से यह साबित होता है कि जेल प्रशासन के साथ साथ अदालत का रवैया भी न्यायसंगत नहीं है। क्योंकि जेल में कैदी को क्या सुविधाएं मिलेंगी यह इस पर निर्भर करे कि उसके पास कितनी सुविधाएं हैं और वह अदालत में कितने बड़े वकील को खड़ा कर सकता है, सविधान की अवमानना है।

तिहाड़ में कैदियों के अधिकारों के बारे में पीयूडीआर की अपनी जाँच–पड़ताल में यह बात सामने आई कि इन अधिकारों के संबंध में विभिन्न श्रेणियों के कैदियों के बीच भेदभाव किया जाता है। 'प्रिजन एक्ट' जेल के अधिकारियों को यह फैसला करने का अधिकार देता है कि वे जेल के भीतर सुरक्षा और व्यवस्था को कायम रखने के लिए कैदियों के लिए कुछ खास सुविधाओं के उपभोग पर पाबंदी लगा सकते हैं। तकरीबन 6 महीने की अवधि तक की गई जाँच–पड़ताल में पीयूडीआर ने पाया कि कैदियों को पूर्व सूचना दिए बगैर इस तरह की पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं और इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि उच्च वर्गों से आने वाले कैदियों पर इस तरह की पाबंदियाँ लागू नहीं होती हैं। कनिमोझी को तिहाड़ जेल में लाए जाने से पहले से ही उनके लिए अच्छे बिस्तर, पंखे और टेलीविजन की व्यवस्था कर दी गई। उनकी कोठरी से भारतीय शैली के शौचालय को तोड़कर वहाँ पश्चिमी शैली का शौचालय बना दिया गया। कलमाड़ी के बारे में कई दफा यह खबर आई कि वे जेल सुपरिंटेंडेंट के ऑफिस में बैठकर चाय पीते थे और वहाँ के कम्प्यूटर से इंटरनेट की सुविधा का उपयोग करते थे। ए. राजा को बिना किसी रोक–टोक के टीवी रखने की इजाज़त दी गई। ज़ाहिर सी बात है कि अन्य कैदियों को इस तरह की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं।

हम यहाँ इस बात पर ज़ोर देना चाहते हैं कि रसूख वाले लोगों के लिए ये सुविधाएँ पूरी तरह से कानूनी हो सकती हैं, लेकिन चूंकि हर किसी को ये उपलब्ध नहीं हैं इसलिए यह चिंता का विषय है। एक आम कैदी को तिहाड़ कोई राहत नहीं देता। यह खबर आती रही है कि तिहाड़ के कैदियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से विभिन्न कोर्सों की पढ़ाई की सुविधा दी गई है और उन्हें कुछ कंपनियों में नौकरियों भी मिली हैं लेकिन ये सुविधाएँ असल में अपवाद ही हैं। दूसरी ओर जेल में कैदियों को नियमित तौर पर मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। मसलन जुलाई 2009 में हुई एक तथाकथित फ़र्जी मुठभेड़ में एमबीए के एक छात्र की हत्या के आरोप में उत्तराखंड के 7 पुलिसकर्मियों को तिहाड़ जेल में रखा गया। इन कैदियों ने 30 मई 2011 को शहर के एक न्यायालय से यह सुनिश्चित करने का आदेश देने का अनुरोध किया कि उन्हें जेल के भीतर दूसरे कैदियों से सुरक्षा प्रदान की जाए (इंडियन एक्सप्रेस, 30 मई 2011)। कुछ साल पहले अप्रैल 2007 में तिहाड़ जेल के एक सज़ायाफ्ता कैदी की शिकायत पर अदालत ने डिप्युटी–सुपरिंटेंडेंट के. एस. मीणा, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट धनंजय रावत और चक्कर चीफ मांगे राम को जेल भेज दिया था। 51 वर्षीय कैदी क्रिस्टोफर जेम्स ने यह शिकायत की थी कि जब उन्होंने 24 सितम्बर 2006 को जेल नंबर 7 में जेल के इन अधिकारियों द्वारा की जा रही वसूली और स्मगलिंग को उजागर करने की कोशिश की थी तो उन्होंने इनकी ज़बर्दस्त पिटाई करके इन्हें घायल कर दिया था।

वे डायबटीज़ के रोगी थे, इसके बावजूद उन्हें दो दिनों तक किसी डॉक्टर से नहीं दिखाया गया (इंडियन एक्सप्रेस, 14 अप्रैल 2007)।

तिहाड़ जेल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार कैदियों में से अधिकांश समाज के निचले स्तर से आते हैं। जेल के बाशिंदों में से 77 प्रतिशत की आय गिरफ्तारी के समय 50,000 रूपये सालाना से कम थी। अपनी गिरफ्तारी के समय एक लाख रुपये तक कमाने वाले कैदियों की संख्या 15 प्रतिशत थी, जबकि 8 प्रतिशत लोग ऐसे थे जो एक लाख रुपये से ज़्यादा कमाते थे। शैक्षिक योग्यता के संदर्भ में 66 प्रतिशत व्यक्ति अशिक्षित या अर्द्ध–शिक्षित थे, जिन्होंने दसवीं तक की पढ़ाई नहीं की थी। अगले कुछ पृष्ठों पर हम 'प्रिजन एक्ट एंड रूल्स' का परीक्षण करते हुए यह समझने का प्रयास करेंगे कि कैदियों को कौन से सबसे बुनियादी मूल अधिकार मिले हुए हैं और व्यवहार में ये किस तरह काम करते हैं।

किसी प्रकार की यातना या मानसिक प्रताड़ना के खिलाफ अधिकार

सज़ायाफ्ता और विचाराधीन – दोनों ही तरह के कैदियों को कुछ निश्चित बुनियादी अधिकार मिले हुए हैं जो उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। इस तरह के अधिकारों में गरिमा का अधिकार तथा यातना और अन्य अमानवीय व्यवहारों से सुरक्षा का अधिकार शामिल हैं। वर्तमान विधिशास्त्र में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि यदि किसी कैदी को सज़ा नहीं मिली है तो उसे तब तक निर्दोष माना जाना चाहिए, जब तक वि सी अदालत द्वारा उसे दोषी करार दिया। इसलिए नियमानुसार हर विचाराधीन कैदी को सज़ायाफ्ता कैदी से अलग रखा जाना चाहिए। इन कैदियों को लिंग और उम्र के अनुसार भी अलग–अलग रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, कानून में शारीरिक और अन्य तरह की क्रूर और अमानवीय सज़ाओं पर भी पाबंदी लगाई गई है।

बहरहाल, तिहाड़ में कैदियों की यातना और मानसिक प्रताड़ना जेल प्रशासन के काम करने के तरीके और वहाँ की पूरी व्यवस्था में निहित है। मसलन, 'प्रिज़न एक्ट और रूल्स' में 'बहुत खतरनाक' कैदियों की कोई श्रेणी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इस शब्दावली का प्रयोग उन कैदियों के लिए किया जाता है जिन पर आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाने, ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने या इनमें सहयोग करने के आरोपों में मुकदमा चल रहा हो या जिन्हें इनके लिए सज़ा मिल चुकी हो। राजनीतिक सज़ायाफ्ता कैदियों या गैरकानूनी गतिविधि निवारक कानून (यूएपीए) के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए कैदियों को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। इस तरह के 'बहुत खतरनाक' कैदियों की श्रेणी में मुख्यतः जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार और भारत के उत्तर–पूर्वी राज्यों के लोग शामिल होते हैं। इनमें से अधिकांश विचाराधीन कैदी होते हैं, लेकिन 'बहुत खतरनाक' कैदियों की श्रेणी में होने के कारण उन्हें वे सुविधाएँ नहीं मिलती हैं जो अन्य विचाराधीन कैदियों को मिलती हैं। मसलन, वर्तमान समय में 'बहुत खतरनाक' कैदियों को खेल–कूद या मनोरंजन की सुविधाओं से वंचित रखा जाता है।

देल्ही प्रिज़न्स (एडमीशन, क्लासीफिकेशन, सेपेरेशन ऑफ प्रिज़नर्स) रूल्स 1988 के नियम 47 के अनुसार कैदियों से सफाई या अन्य कोई परिचारिक काम आदि नहीं करवाया जा सकता, और न ही कोई कैदी पैसे देकर किसी और से ये

काम करवा सकते हैं। इस तरह का काम जेल के कर्मचारियों का है और 'बी' श्रेणी के कैदी अन्य कैदियों को अपने व्यक्तिगत नौकर के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। सुनने में ये नियम कैदियों को ताकत देने वाले लग सकते हैं पर जैसा कि इफ्तिखार गिलानी ने अपनी किताब माई डेज़ इन प्रिज़न में लिखा है लेकिन 'इन नियमों को आसानी से इतना लचीला बनाया जा सकता है कि जिनके पास पैसा और बाहुबल है वे इनको अपने आराम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी किताब के पृष्ठ 55 पर वे लिखते हैं कि 'मैं सिर्फ बैरक के भीतर ही प्रताड़ना से मुक्त था। बैरक खुलते ही प्रताड़ना शुरू हो जाती थी। मुझसे आम–शौचालयों को साफ करवाया जाता था, फर्श और वार्ड के दूसरे साझे हिस्सों में झाड़ू और पोछा लगवाया जाता था। ऐसा लगता था मानो वार्डरों और मुंशियों को यह निर्देश मिला हुआ था कि वे मुझे ज्यादा–से–ज़्यादा प्रताड़ित करें।'

तिहाड़ में रोज़मर्रा के बहुत सारे कामों की ज़िम्मेदारी सज़ायाफ्ता कैदियों पर होती है। इनसे भी बहुत सारी समस्याएँ पैदा होती हैं। बैरकों के भीतर कैदियों के छोटे समूहों को अनुशासन कायम रखने की ज़िम्मेदारी दी गई है। ऐसा करने के लिए ये कैदी अकसर शारीरिक सज़ाओं, यातनाओं और उत्पीड़न का प्रयोग करते हैं। पीयूडीआर तिहाड़ के एक पूर्व–कैदी से मिला जिन्होंने हमें अपने शरीर पर ब्लेड और दूसरे तेज धार वाले हथियारों से वार के कारण कटने और चोटों के निशान दिखाए। ये चोटें उन्हें तिहाड़ में अपनी रिहायिश के दौरान लगीं थीं। इस तरह की घटनाएँ या तो जेल के भीतर होती हैं या जेल की वैन में अदालत आने–जाने के दौरान होती हैं। पीयूडीआर को यह बताया गया कि आम कैदियों के लिए, कानून के इन गैर–आधिकारिक रक्षकों के खिलाफ शिकायत दर्ज़ करवाना बहुत ही मुश्किल होता है।

कैदियों के आत्मसम्मान को तब बेहद ठेस पहुँचती है जब उन्हें उन मूल अधिकारों से वंचित रखा जाता है जो कि जेल के नियमों के अनुसार उनका हक हैं। इनमें बाहरी दुनिया से संपर्क रखने का अधिकार, किताबें और चिट्ठियाँ पाने का अधिकार, चिकित्सा या स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार और ऐसे अन्य बुनियादी अधिकार शामिल हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए ज़िंदगी बिताने के लिए अनिवार्य हैं। आगे के कुछ पृष्ठों में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह तिहाड़ के कैदी इन बुनियादी न्यूनतम अधिकारों को पाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं।

मुलाकातियों से मिलने का अधिकार

जेल मैन्युअल के अनुसार तिहाड़ के कैदियों को हर हफ्ते दो मुलाकातों का हक मिला हुआ है। ये मुलाकातें जेल से जुड़े मुलाकात जंगले में होती हैं। तिहाड़ जेल की वैबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार प्रत्येक कैदी सामान्यतः हर मुलाकात में तीन व्यक्तियों से मिल सकता है। वैबसाइट के अनुसार मुलाकात के दौरान कैदी को शाकाहारी भोजन, फल और कपड़े प्राप्त करने की अनुमति है (इंटरोडक्शन टू तिहाड़ जेल)। इसके अतिरिक्त मुलाकात के दौरान कैदी अपने परिजनों से जेल के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले कूपन हासिल कर सकते हैं।

ऐसा लग सकता है कि मुलाकात की प्रक्रिया बेहद सरल है परन्तु वास्तव में यह बहुत ही जटिल है। परिवार वालों और अन्य लोगों से, जो कि नियमित रूप से जेल में बंद अपने परिजनों से मिलने आते हैं, बातचीत से यह पता चलता है कि यह प्रक्रिया कितनी मुश्किल है। जेल में किसी से मिलने जाने के लिए फोन

द्वारा एक फोन नम्बर (28520202) पर या फिर किसी भी दिन दोपहर 1 से 8 बजे तिहाड़ के डैस्क पर जा कर बुकिंग करनी पड़ती है। जो व्यक्ति किसी कैदी से मिलना चाहता है उसे अपनी पहचान का कोई सबूत बुकिंग के समय और असल में मिलने जाने के समय जेल के अफसरों को दिखाना पड़ता है। हर मुलाकाती की फोटो खींची जाती है और अंगूठे के निशान लिए जाते हैं।

जो लोग खुद बुकिंग के लिए जेल तक नहीं आ सकते उनके लिए फोन पर समय लेना बेहद मुश्किल होता है। हालांकि उपरोक्त नम्बर की कई लाइनें हैं फिर भी यह हमेशा व्यस्त रहता है। साथ ही हालांकि मैन्युअल में तीन मुलाकातियों के मिलने आने की इजाज़त है परन्तु 1 मार्च 2011 से इस नियम को बदल दिया गया है और अब हर विचाराधीन कैदी से मिलने केवल एक व्यक्ति ही आ सकता है और सज़ायाफ्ता से मिलने तीन। दिल्ली से बाहर से आने वाले परिवारों के लिए इस नए आदेश ने काफी मुश्किलें खड़ी कर दीं हैं। कई मुलाकातियों ने पीयूडीआर को बताया कि उन्हें अब लंबे लंबे समय तक दिल्ली में रहना पड़ता है ताकि परिवार का हर व्यक्ति कैदी से मिल सके।

यहाँ यह ध्यान दिया जाना ज़रूरी है कि फ्रांसिस कोरेली मुलिन वर्सिस द एडमिनिस्ट्रेटर, यूनियन टैरिटरी ऑफ़ देलही एआईआर 1981 एससी 746 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि 'मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार और इसलिए जीवन के अधिकार के ज़रूरी हिस्से के रूप में उसे (एक कैदी को) अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों से मिलने का अधिकार होना चाहिए और जेल द्वारा बनाए गए कोई भी नियम या प्रक्रियाएं जो परिवार के सदस्यों और दोस्तों से मिलने के अधिकार पर रोक लगाते है संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत तभी सही माने जा सकते हैं अगर वे न्यायसंगत और उचित हों।'

इस साल मार्च के महीने से मुलाकात के नियमों में काफी बदलाव लाए गए हैं। प्रत्येक बंदी को अब 8–10 परिजनों की सूची देनी होती है, जो उनसे मिलने आ सकते हैं। जिसका अर्थ है कि इनके अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति मुलाकाती नहीं हो सकता। इसके अलावा मुलाकातियों द्वारा लाई जाने वाली चीज़ों पर भी पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। पिछले साल तक दो फल – केले और सेब – लाने की अनुमति थी। 15 जनवरी 2011 से इनकी भी मनाही हो गई है। घर से लाए जाने वाले खाने पर भी पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। तरी वाली सब्ज़ियाँ, व्यजन व दालें लाने पर रोक दी गई है। अप्रैल के दो सप्ताहों में तो हद ही हो गई थी, इन पंद्रह दिनों में तो बिना किसी पूर्वसूचना के हरी सब्ज़ियों के अंदर ले जाए जाने पर भी रोक लगा दी

विचाराधीन कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की मात्रा

हफ्ते में दो बार	हफ्ते में दो बार	हफ्ते में तीन बार	हफ्ते में चार बार	हफ्ते में तीन बार	रोज़ाना
गेहूँ	जौ या जवार	बाजरा या मक्की	दाल-- उड़द, मूँग	दाल– उड़द, मूँग	नमक, मसाले, लकड़ी और तेल

गई थी। न तो इसकी कोई पूर्वसूचना दी जाती है और न कोई सार्वजनिक नोटिस लगाया जाता है कि कौन सी चीज़ें अंदर ले जाई जा सकती हैं और कौन सी वर्जित हैं। जेल प्रशासन चीज़ों पर रोक लगाने का कारण देना भी ज़रूरी नहीं सझता। इससे जेल प्रशासन के मनमाने ढंग से काम करने के रवैये का खुलासा होता है।

पोषक और पर्याप्त भोजन का अधिकार

द देहली प्रिज़नस (ट्रांस्फर ऑफ़ प्रिज़नर, लेबर एंड जेल इंडस्ट्री, फूड, क्लोदिंगस एंड सेनिटेशन) रूल्स, 1988 के अनुच्छेद 73 में अस्पताल में भरती कैदियों के अलावा सभी कैदियों को दिए जाने वाले भोजन का उल्लेख है।

1. सुबह का भोजन : बंदियों को मिलने वाले अनाज, दाल, तेल, सब्ज़ी का आधा भाग और चाय।
2. दोपहर का भोजन : भुने या उबले चने और चाय।
3. रात का भोजन : शेष अनाज, दाल, तेल और सब्ज़ी।

गौरतलब है कि इस भोजन में फल शामिल नहीं है। हमारा मानना है कि बाहर से लाए जाने वाले खाद्य पदार्थों और फलों पर पाबंदियाँ लगने के बाद से यह कमी और भी गंभीर हो गई है। पहले परिजनों और दोस्तों के जरिये कैदियों को फल मिलने की संभावना रहती थी, पर ये पाबंदियाँ लगने से बंदियों के लिए फल आदि जेल की कैंटीन से खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया है। इन पाबंदियों का मतलब यह नहीं है कि ये चीज़ें जेल में प्राप्त नहीं हैं। कैदियों को अपनी ज़रूरतों के अनुसार ये चीज़ें खरीदने की छूट है। तिहाड़ में खाद्य पदार्थों व अन्य चीज़ों की बिक्री के निजीकरण का चलन ज़ोर पकड़ रहा है। इस संबंध में हमें जो जानकारी मिली है वह चिंताजनक है। चीज़ों की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और फलों की गुणवत्ता गिर रही है। जेल की कैंटीन से चीज़ें खरीदे जाने का यह प्रचलन

जेल के अंदर का काला बाज़ार

जेल के अंदर रुपये और कीमती वस्तुएं ले जाने पर पाबंदी है। खरीददारी के लिए जेल के अंदर कूपन इस्तेमाल किए जाते हैं। मुलाकात के दौरान परिजन एक कैदी को 500 रुपयों के कूपन दे सकते हैं। अलग अलग कीमतों के कूपनों द्वारा कैदी चाय, साबुन और बाल्टियों जैसी ज़रूरी चीज़ें खरीद सकते हैं। नोटों पर प्रतिबंध के चलते जेल में एक प्रकार के काले बाज़ार ने जन्म ले लिया है। अगर कोई चोरी छिपे 500 रुपये का नोट जिसे गाँधी कहा जाता है, भीतर ले आता है तो इसके बदले वह 750 रुपये के कूपन खरीद सकता है। पर यह रेट बदलता रहता है। रेट इस पर निर्भर करता है कि उस दिन कितने 500 रुपये के नोट अंदर आए हैं।
इन गाँधियों के कई उपयोग हैं। ये रिश्वत देकर तंबाकू, नशीले पदार्थ या शराब जैसी प्रतिबंधित चीज़ें प्राप्त करने के काम आते हैं। तंबाकू पर जेल में प्रतिबंध है इसलिए सिगरट और तंबाकू की थैलियों की तस्करी बहुत लाभदायक धंधा है। बाज़ार में 20 रुपये की मिलने वाली तंबाकू की थैली जेल में 400 रुपये तक में बिक सकती है। एक बीड़ी का दाम तिहाड़ में 30 रुपये है।
इफ्तिखार गिलानी, माई डेज़ इन प्रिज़न

नुकसानदेह है क्योंकि जिन बंदियों के पास पैसा नहीं है उन्हें इनके बिना ही गुज़ारा करना पड़ता है। इन परिस्थितियों के परिणामस्वरूप छोटे बच्चों के साथ रहने वाली महिला कैदी बच्चों को खिलाने वाली कुछ एक एकदम ज़रूरी चीजों के अलावा ज़्यादातर चीज़ें जेल की कैंटीन या स्टोर से खरीदने पर विवश हैं।

पीयूडीआर को कई एक ऐसे उदाहरण मिले जहाँ कैदी कूपन हासिल करने के लिए अन्य कैदियों के काम कर रहे थे। एक भूतपूर्व महिला कैदी ने हमें बताया कि किस तरह वे अपने परिवार वालों द्वारा लाई गई चीज़ों को अन्य कैदियों को बेच कर अपने बच्चे के लिए दूध का जुगाड़ करती थीं।

देहली प्रिज़न ऐक्ट (2000) एंड रूल्स में कैदियों को दिए जाने वाले भोजन के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। पंजाब जेल मैन्युअल में कैदियों को दिए जाने वाले भोजन का ज़्यादा विस्तृत विवरण है। जेल मैन्युअल के सैक्शन 11 के अनुसार विचाराधीन कैदियों को निम्नलिखित चार्ट के अनुसार भोजन मिलना चाहिए।

इसमें मौसमी सब्ज़ियाँ दिए जाने का भी उल्लेख है, जिनमें शामिल हैं बंदगोभी, गाजर, गोभी, कोहल, प्याज़, चुकंदर, पालक, शलगम, मूली, लाल साग, फरासबीन, सेम, खीरा, कद्दू, पेठा, शकरकंदी, बैंगन, करेला आदि। रोचक बात यह है कि मैन्युअल में कुछ अपवादों का भी ज़िक्र है। नोट 11 की टिप्पणी 3 में कहा गया है कि 'अगर कोई विचाराधीन कैदी ऐसे सामाजिक वर्ग से है कि जेल का सामान्य भोजन यथोचित रूप से उसकी रुचि के अनुरूप नहीं है या अगर स्वास्थ्य ऑफ़ीसर सलाह दे, तो पहली स्थिति में उसे अपने खर्चे पर और दूसरी में सार्वजनिक खर्चे पर उसे अतिरिक्त खाद्य पदार्थ देने का प्रबंध किया जाएगा।'

पंजाब जेल मैन्युअल में न्यायिक हिरासत में विचाराधीन कैदियों को मुलाकात के दौरान अपने परिजनों से अतिरिक्त खाद्य सामग्री लेने का हक मिला हुआ है। उन्हें घी, गुड़, शक्कर, फल, मिठाई, पके हुए अंडे, सरसों का तेल, बादाम, नींबू, गलगल, आम, प्याज़, अचार, चटनी और आंवला बाहर से प्राप्त करने का हक है।

द देहली प्रिज़न ऐक्ट एंड रूल्स में कैदियों को मिलने वाले फल और सब्ज़ियों के विषय में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ऐसी कोई सूची नहीं है जिससे मुलाकातियों को पता चले कि कौन सी सब्ज़ियाँ लाने की अनुमति है। इसके परिणामस्वरूप यह जांच कांउटर पर कार्यरत अफसरों की कृपा पर निर्भर होता है कि वे खाने की कौन सी चीज़ें अंदर जाने देते हैं। पीयूडीआर ने पाया कि अकसर ही दूरदराज़ के इलाकों से आए और नियमों से अनभिज्ञ मुलाकातियों को खाने की पकी हुई चीज़ें, चाहे वे शाकाहारी क्यों न हों, इस दलील पर बाहर छोड़नी पड़ती हैं कि इन्हें ले जाने की अनुमति नहीं है। इसके चलते उन्हें अकसर तिहाड़ हाट से बिस्कुट, केक, नमकीन आदि खरीदने पर मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि वे मुलाकात के लिए खाली हाथ नहीं जाना चाहते।

चिकित्सा का अधिकार

कैदियों को दिए गए अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण व मूलभूत अधिकारों में से एक है चिकित्सा का अधिकार। देहली प्रिजन ऐक्ट 2000 के आठवें अध्याय के अनुसार हर जेल में चिकित्सालय/अस्पताल का प्रावधान है। व प्रत्येक कैदी को बिना देरी के यह सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है। मेडिकल ऑफीसर द्वारा

न्यायिक हिरासत में मौतें (सामान्य या असामान्य)		
साल	दिल्ली	भारत
2000-2001	28	910
2001-2002	27	1140
2002-2003	30	1157
2003-2004	22	1300
2004-2005	27	1357
2005-2006	29	1591
2006-2007	25	1477
2007-2008	33	1789
कुल	221	10,721

विशिष्ट चिकित्सा की सिफारिश किए जाने पर तिहाड़ के कैदियों को सबसे पहले हरी नगर में स्थित दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) अस्पताल ले जाया जाता है।

हमें तिहाड़ के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। इस कारण से चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में हमारे अवलोकन तिहाड़ के कुछ मामलों की मीडिया रपटों पर आधारित और सीमित हैं। हाल ही में 14 मई 2011 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने, बिस्कुट टाईकून राजन पिल्लई, जिनकी मौत सही इलाज न होने के कारण जुलाई 1995 में हुई थी, की पत्नि को दस लाख रुपये मुआवज़ा देने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय में दर्ज़ किए अपने शपथपत्र में प्रशासन ने माना 110 डॉक्टरों व पैरामैडिक्स की कुल अधिकृत संख्या में से 32 सीटें अभी तक खाली हैं। कोर्ट ने तिहाड जेल प्रशासन को कैदियों के लिए न्यूनतम चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने का आदेश दिया। कोर्ट ने राज्य को पिल्लई की मौत के लिए उत्तरदायी ठहराते हुए कहा कि 'संविधान के अनुच्छेद 21 – जीवन का अधिकार – के अनुसार प्रत्येक कैदी के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य का संवैधानिक व कानूनी दायित्व है ..... विशेषज्ञ डॉक्टरों के ज़रूरत पड़ने पर तुरंत उपलब्ध होने की कमी और तुरंत पास के अस्पताल न ले जाने, पर्याप्त सुविधाओं वाली ऐबुलेंस उपलब्ध

जेल सुधार पर मुल्ला कमेटी (1983) की कुछ सिफारिशें

- जेल और उससे जुड़े अन्य संस्थानों के विषय को भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची मे जोड़ा जाए।
- भारतीय दंड संहिता को अपराधियों के सुधार और पुनर्वास की समकालीन आधुनिक विचारधारा के परिवेष में ढाला जाए। उदाहरण के लिए जेल की सज़ा के कोई विकल्प मुहैया करवाए जाएँ और साधारण और कठोर कारावास के अंतर को खतम किया जाए।
- जच्चाओं और महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों के लिए संपूर्ण और पौष्टिक खाने की व्यवस्था की जाए।
- जेल में भोजन देने के लिए उचित नियम बनाए जाएं जो कि पौष्टिकता और ज़रूरी कैलोरी की मात्रा, मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर हों। इस पर नज़र रखने के लिए कि कैदियों को नियमानुसार भोजन मिल रहा है या नहीं, जाँच की उचित व्यवस्था हो।
- सज़ायाफ्ता और विचाराधीन कैदियों के लिए मुलाकात के मौके मुहैया करवाने में उदारता होनी चाहिए।
- कैदियों से मुलाकात की सुविधा को मानवीय बनाया जाना चाहिए और मुलाकात की इजाज़त दिए जाने की और मुलाकात की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए।
- सामाजिक, आर्थिक या शैक्षिक पृष्टभूमि के आधार पर कैदियों का ए, बी, सी, वर्ग या I,II,III श्रेणियों में वर्गिकरण खतम किया जाना चाहिए।
- मौजूदा समय में सज़ायाफ्ता ऑफीसरों को निरीक्षण और अनुशासन बनाए रखने की ड्यूटी दिए जाने की जो व्यवस्था है उसे खतम किया जाना चाहिए।
- हर राज्य और संघ शासित प्रदेशों के जेलों और संबंधित संस्थानों में तर्कसंगत वेतन भुगतान की एक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।

न होने, डॉक्टरों द्वारा बीमारी का सही निदान और इलाज न कर पाने के कारण राजन पिल्लैई की मौत हुई।'

इस वर्ष जून में एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने तिहाड़ प्रशासन को फिर फटकारा। न्यायालय का कहना था कि तिहाड़ में मौतें कोई असाधारण घटनाएं नहीं हैं। 2007 में मारे गए विनोद के परिवार वालों को 6.54 लाख रुपयों का मुआवज़ा देते हुए उच्च न्यायालय ने ठहराया कि 'यह संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिए विनोद के मूल अधिकार के हनन का स्पष्ट उदाहरण है।' इस वर्ष के आरंभ में 28 जनवरी 2011 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफारिश पर दिल्ली सरकार को, अलका, जो कि जेल नंबर 6 में बंद थीं और जिन्होंने अक्टूबर 2003 को आत्म हत्या की थी, के परिवार को 1 लाख मुआवज़ा देना पड़ा। जेल में

कैदियों के अधिकारों से संबंधित कुछ ऐतिहासिक फैसले

कैदियों के अधिकारों और गरिमा के संबंध में

एक कैदी या बंदी को वे सभी मूल अधिकार और अन्य कानूनी अधिकार मिले हुए होते हैं जो किसी भी आज़ाद व्यक्ति को मिले होते हैं, सिर्फ उन अधिकारों को छोड़ कर जो कि जेल के अंदर बंद होने के कारण उपलब्ध नहीं होते ... संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार को इस तरह सीमित नहीं किया जा सकता कि व्यक्ति का अस्तित्व जानवरों जैसा हो जाए। इसका अर्थ है कि व्यक्ति की ज़िंदगी केवल शारीरिक रूप से जीवित होने से ज़्यादा होनी चाहिए। जीवन के अधिकार का अर्थ है मानवीय गरिमा के साथ जीवन और इसके लिए जो भी ज़रूरी है जैसे कि जीवन की बुनियादी ज़रूरतें – पर्याप्त और पौष्टिक भोजन, कपड़े, रहने की उचित जगह और पढ़ने, लिखने और अपने आप को अलग अलग तरह से व्यक्त करने, आज़ादी से घूमने और साथ के लोगों के साथ मिलने जुलने की सुविधाएँ। इस अधिकार का पैमाना इस पर निर्भर होगा कि देश के आर्थिक विकास की क्या स्थिति है, परन्तु इसमें जीवन की बुनियादी ज़रूरतों और उन सभी कार्यकलापों और कार्यो को करने की छूट जो इंसानी अस्तित्व की न्यूनतम अभिव्यक्ति हैं, को शामिल किया जाना ज़रूरी है। ..... . इसलिए किसी भी तरह की यातना या क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार मानवीय गरिमा को ठेस पहुँचाता है और जीवन के अधिकार का हनना है और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 21 के आधार पर तब तक प्रतिबंधित होना चाहिए, जब तक कि ऐसा कानूनी रूप से निर्धारित न किया गया हो। परन्तु कोई भी कानून या कोई भी प्रक्रिया जो यातना या क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार को संभव बनाते हैं, युक्तियुक्तता और गैरमनमानेपन के मापदंडों में खरे नहीं उतर सकते हैं। ये सीधे सीधे असंवैधानिक होंगे और अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन होंगे। (फ्रांसिस कोराली मुलिन वर्सिस द एडमिनिस्ट्रेटर, यूनियन) 1981

कैदियों को 'बेहतर श्रेणी' के रूप में वर्गीकृत करने के संबंध में

किन कैदियों को हथकडी लगेगी और किन को नहीं यह तय करने के लिए कैदियों के आर्थिक या सामाजिक महत्व को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। सुरक्षा को खतरे के लिहाज से एक अमीर अपराधी या विचाराधानी कैदी किसी गरीब या बाहरी सज़ायाफ्ता या विचाराधीन कैदी से किसी भी तरह भिन्न नहीं है। एक प्रभावशाली कैदी अगर अधिक नहीं तो उतना ही खतरनाक या बैचेन और उतावला हो सकता है जितना कि एक गरीब और वंचित कैदी। बल्कि उसे कैद से भगा कर ले जाने की संभावना एक साधारण कैदी की तुलना में ज़्यादा ही है। इसलिए हथकड़ी पहनाने के लिए कैदियों को 'बी' श्रेणी और साधारण श्रेणी में बांटना निहायत मनमाना और तर्क हीन है। (प्रेम शंकर शुक्ला वर्सिस देहली ऐडमिनिस्ट्रेशन) 1980

मुलाकातियों से मिलने के अधिकार पर

संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के

अनुसार जेल में बंद कैदी को अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों से मिलने का अधिकार स्पष्ट रूप से उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में प्रयोग होने वाला 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' का बहुत व्यापक और विस्तृत है. इसमें बहुत तरह के अधिकार शामिल हैं जिन्हें व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भाग माना जाता है और इसमें वे अधिकार भी शामिल हैं जिन्हें अब मूल अधिकारों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है और अनुच्छेद 14 के तहत जिन्हें अतिरिक्त संरक्षण मिला हुआ है। इसलिए अनुच्छेद 14 और 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता में परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ मिलने जुलने का अधिकार जेल के किन्हीं भी नियमों में शामिल होना चाहिए। अगर जेल का कोई भी नियम या कार्यप्रणाली परिवार के सदस्यों या दोस्तों से मिलने पर मनमाने ढंग से या अनुचित ढंग से प्रतिबंध लगाता हैं तो यह अनुच्छेद 14 और 21 का हनन माना जाएगा और इसे हटा दिया जाएगा।

(फ्रांसिस कोराली मुलिन वर्सिस द एडमिनिस्ट्रेटर, यूनियन) 1981

प्रवेश के समय अलका को अस्वस्थ पाया गया था। उन्हें तेज़ बुखार था और उनका रक्तचाप कम था। यह जानकारी भी दी गई थी कि उन्होंने 27 दिन पहले ही बच्चे को जन्म दिया था। उन्हें तत्काल ही डीडीयू भेजा गया, और उसके बाद उनका जेल की डिस्पैंसरी में डीडीयू की निगरानी में इलाज चल रहा था। आत्महत्या के प्रयास वाले दिन उनके साथ के कैदी उन्हें जेल नंबर 6 की डिस्पैंसरी में लाए थे। वहाँ से उन्हें डीडीयू अस्पताल ले जाया गया, पर वहाँ पहुँचने पर उन्हें मृत घोषित किया गया। कई रिपोर्टों के आधार पर मानव अधिकार आयोग ने जाँच मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। आयोग ने कहा कि गिरफ्तार करने वालों ने कैदी को अपने को नुकसान पहुँचाने से रोकने में पूरी सावधानी नहीं बरती थी। आयोग ने ठहराया कि कैदियों की देखरेख के दायित्व के उल्लंघन का खामियाज़ा दिल्ली सरकार को भरना पड़ेगा और आयोग ने 1 लाख रुपये का मुआवज़ा निर्धारित किया।

हिरासत में मौत – जीवन के अधिकार का सबसे चर्म और मौलिक उल्लंघन है। लेकिन चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के इससे कमतर उल्लंघनों को कम महत्व दिया जाता है। इन सुविधाओं का कैदियों के स्वास्थ्य से सीधा संबंध होते हुए भी इनकी कमी को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। क्षमता से ज़्यादा भरे होने के कारण जगह की कमी, अपार्याप्त हवा, उमस आदि के कारण जेल में बुखार और टीबी आम समस्याएं हैं। इस संदर्भ में जस्टिस लीला सेठ की अध्यक्षता में बने जाँच आयोग की रपट में दी गई सिफारिशें महत्वपूर्ण हैं। इनमें शामिल हैं – कैदियों को खुली हवा उपलब्ध करवाना, अधिक से अधिक समय तक खुले में रखना, चौबीसों घंटे प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता और डॉक्टर से आम सलाह के साथ आपातकालीन सलाह के लिए जेल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता। इस संदर्भ में राममूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य 1997 मामले में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी पर ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। 'कैदियों के स्वास्थ्य का दायित्व समाज पर दो कारणों से बनता है। प्रथम यह है कि कैदियों के पास स्वतंत्र नागरिकों की तरह इलाज करवा पाने की संभावना नहीं होती। जेल में बंद होना चिकित्सा सुविधाओं तक उनकी पहुँच पर रोक लगा देता है, वे न तो मनपसंद डॉक्टर के पास जा सकते हैं और न किसी दूसरे डॉक्टर की राय की सुविधा उनके पास होती है और विशेषज्ञ

डॉक्टरों तक उनकी पहुँच भी सीमित रहती है। दूसरा, जेल के हालातों के कारण आम नागरिकों की तुलना में कैदियों को स्वास्थ्य के लिए अधिक हानीकारक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अतः वे दोहरे रूप से असमर्थ होते हैं।'

अन्य अधिकारों की पूर्ति

तीव्र अभियोजन,व्यवसायिक और शैक्षिक ट्रेनिंग पाने और न्यूनतम वेतन पाने का अधिकार कुछ अन्य महत्वपूर्ण अधिकारों में से हैं। कुछ उदाहरणों द्वारा हम यह दिखाना चाहते हैं किस प्रकार अलग अलग सामाजिक परिवेश से आने वाले कैदियों तक इन अधिकारों की पहुँच में कितनी गैरबराबरी है। जेल में मुक्त स्कूल और विश्वविद्यालय की शिक्षा उपलब्ध है परन्तु अधिकांश कैदी इन सुविधाओं का फायदा नहीं उठा पाते। इसी तरह हाल ही में जब तिहाड़ जेल प्रशासन ने कैदियों को नौकरियाँ दिलवाने की घोषणा तो आश्चर्यजनक बात यह थी कि 42 कैदियों में से एक भी महिला नहीं थी। शैक्षिक सुविधाओं और पुस्तकालय की सुविधा की उपलब्धता में भी गैरबराबरी है। पीयूडीआर ने पाया कि पुरुष कैदियों को महिला कैदियों की तुलना में व्यवसायिक कोर्सों जैसे कि कंप्यूटर ट्रेनिंग की सुविधाएं अधिक मुहैया करवाई जाती हैं। काम और ज़िम्मदारी का विभाजन भी रूढिवादी लैंगिक आधार पर किया जाता है। उदारहण के लिए महिला कैदियों को सिलाई, कढ़ाई, चित्रकला, क्रेश चलाने आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है जबकि पुरुषों को कहीं अधिक तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे जुड़ा हुआ हक है पढ़ने की सामग्री जैसे किताबों, पत्रिकाओं और मनोरंजन की अन्य सुविधाओं का अधिकार। प्रिज़न ऐक्ट यह पूरी तरह सुप्रिंटेंडेंट की मर्ज़ी पर छोड़ता है कि वह कौन सी पत्रिकाएं और किताबें कैदियों को मुहैया करवाते हैं। इसमें जेल के पुस्तकालय में समय बिताने का हक भी शामिल है।

एक अन्य महत्वपूर्ण अधिकार जिससे कैदियों को वंचित रखा जाता है वह है जेल में काम के बदले न्यूनतम वेतन पाने का अधिकार। तिहाड़ में कई सारी ऐसी छोटी यूनिट और फैक्टिरियाँ हैं जहाँ कई ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जिनका या तो जेल में इस्तेमाल होता है या जो बाहर बेची जाती हैं। इनमें शामिल हैं जेल की बेकरी, मोमबत्ती बनाने की यूनिट, सिलाई और लकड़ी का सामान बनाने आदि की यूनिट, पौधों की नर्सरी आदि। तिहाड़ की वेबसाइट के अनुसार अकुशल, अर्धकुशल और कुशल काम के लिए कैदियों का वेतन क्रमशः 10 रु., 12 रु. और 15 रु. प्रतिदिन से बढ़ा कर 40 रु., 44 रु. और 52 रु. कर दिया गया है। यह दर केन्द्रीय और दिल्ली सरकार के न्यूनतम वेतन की दर से कहीं कम है। बेकरी, कन्फैक्शनरी, खाने का परिरक्षण, मिट्टी के बर्तन बनाने, छपाई और निर्माण के काम के लिए अकुशल, अर्धकुशल और कुशल कामगारों का वेतन आठ घंटों के काम के लिए क्रमशः 247 रु., 273 रु. और 301 रु. है।

कैदियों के साथ व्यवहार किए जाने के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के मानक न्यूनतम नियम

गिरफ्तार या मुकदमे का इंतज़ार कर रहे कैदियों के लिए प्रावधान

84. 1) जिन लोगों को आपराधिक आरोप के लिए गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है, जो पुलिस कि हिरासत में हैं या जेल में कैद हैं, लेकिन अभी तक जिन पर मुकदमा नहीं चला है या उन्हें सज़ा नहीं हुई है, यहाँ दिए गए नियमों में उनका उल्लेख 'कैदी जिनका मुकदमा शुरू नहीं हुआ है' के रूप में किया जाएगा।
(2) जिन कैदियों को सज़ा नहीं हुई है उन्हें निर्दोष माना जाएगा और उनके साथ वैसा ही बरताव किया जाएगा।
(3) व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के कानूनी नियमों के संदर्भ में किसी पूर्वाग्रह के बगैर या उन कैदियों जिनका मुकदमा नहीं शुरू न हुआ हो, के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को तय करते वक्त, इन कैदियों को एक विशेष प्रणाली का फायदा दिया जाएगा, आगे के नियमों में उन्हें इनकी बुनियादी आवश्यकताओं के रूप में बताया गया है।

85. (1) उन कैदियों को जिनका मुकदमा शुरू नहीं हुआ है सज़ायाफ्ता कैदियों से अलग रखा जाएगा।
(2) उन कैदियों को जिनका मुकदमा शुरू नहीं हुआ है वयस्क लोगों से अलग रखा जाएगा और सिद्धांत रूप में इन कैदियों को अलग संस्था में कैद किया जाएगा।

86. उन कैदियों को जिनका मुकदमा शुरू नहीं हुआ है अलग कमरे में रखा जाएगा और जलवायु के हिसाब से विभिन्न स्थानीय प्रथाओं का पालन भी किया जाएगा।

88. (1) एक बिना सज़ा पाए कैदी को अपने कपड़े पहनने की इजाज़त दी जाएगी, बशर्ते वे साफ और उपयुक्त हों।
(2) यदि वह जेल के कपड़े पहनता है, तो वे सज़ायाफ्ता कैदियों को दिए जाने वाले कपड़ों से अलग होंगे।

90. उन कैदियों को जिनका मुकदमा शुरू नहीं हुआ है अपने पैसे या किसी तीसरे पक्ष के पैसे से ऐसी किताबें, अखबार, लेखन–सामग्री और दूसरे ऐसे सामान खरीदने की इजाज़त होगी जो न्याय के प्रशासन और संस्था की सुरक्षा और अच्छी व्यवस्था से सुसंगत हो।

92. उन कैदियों को जिनका मुकदमा शुरू नहीं हुआ है यह इजाज़त होगी कि वह तुरन्त ही अपने परिवार को अपनी गिरफ्तारी की सूचना दे और उसे अपने परिवार और दोस्तों से संपर्क करने और मिलने के लिए सभी ज़रूरी सुविधाएँ दी जाएँगी, इसमें सिर्फ न्याय के प्रशासन या संस्था की सुरक्षा और अच्छी व्यवस्था को ध्यान में रखा जाएगा।

93. उन कैदियों को जिनका मुकदमा शुरू नहीं हुआ है, अपना पक्ष रखने के लिए मुफ्त कानून सहायता हेतु आवेदन करने की इजाज़त होगी, बशर्ते इस तरह की सहायता उपलब्ध हो। उसे यह इजाज़त होगी कि वह अपना पक्ष तैयार करने के लिए अपने कानूनी सलाहकार से मिले और वह चाहे तो उसे गोपनीय निर्देश भी दे सकता है। यदि उसे लेखन सामग्री की ज़रूरत होगी, तो वह भी मुहैया कराई जाएगी। कैदी और उसके कानूनी सलाहकार की बातचीत पर दूर से नज़र रखी जा सकती है, लेकिन पुलिस या संस्था के अधिकारी को इनके इतने नजदीक नहीं रहना चाहिए कि वे उनकी बातचीत सुन पाएँ।

निष्कर्ष

इस रिपोर्ट द्वारा पीयूडीआर कुछ बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता है। तिहाड़ का जेल प्रशासन तकरीबन गोपनीय और अपारदर्शी तरीके से काम करता है और वह अपने काम के लिए न्यूनतम स्तर की जवाबदेही स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है। यह बहुत ही गंभीर चिंता की बात है। जेल की ऊँची दीवारों के भीतर के यथार्थ को शायद ही कभी सामाजिक जाँच पड़ताल के लिए सामने लाया जाता है। आधिकारिक रूप से 'विज़िटर्स' की एक समिति अस्तित्व में है, जिसका काम है कि वह निश्चित समयान्तराल के बाद जेल की स्थितियों के बारे में अपनी रिपोर्ट दे। यह रिपोर्ट सीधे तौर पर सरकार को दी जाती है और इसे सार्वजनिक नहीं किया जाता है।

जवाबदेही की इस कमी के कारण प्रशासन का मनमानापन बढ़ता है, जो बहुत ही अतिवादी रूप में सामने आ सकता है। मसलन, तिहाड़ में लोगों को सिर्फ 'शुद्ध शाकाहारी' खाना ही दिया जाता है। लेकिन इसके लिए लिखित रूप में कोई स्पष्टीकरण मौजूद नहीं है कि ऐसा क्यों है। हमें बताया गया कि माँसाहार 'पाशविक' या जानवरों वाली प्रवृत्तियों को बढ़वा देता है, और चूंकि जेल एक सुधार गृह भी है, इसलिए शाकाहार कैदियों में अहिंसा और शांति जैसे सद्गुणों के विकास के लिए आवश्यक है। हाल ही में मुम्बई उच्च न्यायालय ने जुलाई 2011 में दिए गए अपने फैसले में जेल में शाकाहार थोपने के तर्क पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने मुम्बई जेल प्रशासन को यह आदेश दिया कि वह कैदियों को कम–से–कम हफ्ते में दो बार माँसाहारी खाना दे। तिहाड़ के बारे में एक रोचक बात यह भी है कि यहाँ आध्यात्मवादिक, धार्मिक संगठनों को जेल के भीतर जाने का मौका दिया जाता है पर दूसरी ओर, पीयूडीआर जैसे नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकार संगठनों को जेल के भीतर जाने की इज़ाजत नहीं दी जाती।

पीयूडीआर बहुत सारी ऐसी बातों पर ज़ोर देना चाहता है जो गंभीर चिंता का विषय हैं: पहली कि यदि कोई व्यक्ति कैद में है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह 'इंसान' ही नहीं रहा/रही। मुलाकातियों से मिलने, स्वास्थ्य सेवा आदि के संबंध में तिहाड़ में कैदियो पर पाबंदियाँ बहुत बढ़ गई हैं। यह जेल जीवन से जुड़े स्वीकृत मानकों और व्यवहारों के खिलाफ है। दूसरा, न्यायालय के फैसले के अलावा यदि किसी कैदी पर कोई पाबंदी या सज़ा थोपी जाती है तो उसे अनुच्छेद 21 में दिए गए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की कसौटी, जिसमें 'निष्पक्षता' और 'स्वाभाविक न्याय' निहित हैं, पर तोलना ज़रूरी है (डी. डी. बसु, कॉमेंटरी ऑन द कांस्टीट्युशन ऑफ इंडिया, वोल्यूम 3, पृ. 3205)। तीसरा, बेहतर वर्ग के कैदियों को दी जाने वाली सुविधाएँ जेल के अंदर वर्ग विभाजन या गैरबराबरी को जन्म देती हैं और यह संविधान के समानता के मूल्य के खिलाफ है।

तिहाड़ पर पीयूडीआर की अन्य रिपोर्ट

1) 'Death in Tihar: A Report' (1989)
2) 'Deaths in Tihar: A Report on Invisible Lives' (1994)
3) 'Of Police and Prison, A Death Via Two Custodies' 1995
4) 'Behind High Walls: Custodial Death in Tihar Jail' (1996)

प्रकाशक: सचिव, पीपल्स यूनियन फ़ॉर डैमोक्रैटिक राइट्स (पी.यू.डी.आर.)
पता: डॉ. मौशमी बासु, ए–6/1, अदिति अपार्टमेंट्स, पॉकेट डी, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058
मुद्रक : प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए–21, झिलमिल इंडस्ट्रिएल एरिया, जी.टी. रोड, शाहदरा दिल्ली–95
सहयोग राशि: 5रु.
ई मेल: pudrdelhi@yahoo.com
वेबसाइट: www.pudr.org